न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 308/2022

दायर दिनांक 25.07.2022

निर्णय दिनांक 11.03.2024

उनवान

1. नारायण पुत्र श्रीकिशन ब्राह्म्ण जाति ब्राह्म्ण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

रामप्रसाद पुत्र श्री मगनीराम ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

धर्मराज पुत्र श्री मगनीराम ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

सहदेव पुत्र श्री मगनीराम ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

सुरेश पुत्र श्री मगनीराम ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

घनश्याम पुत्र श्री मगनीराम ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

गीता पत्नी मगनीराम ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

गीता पत्नी श्री राधाकिशन ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बदरी पुत्र श्रीकिशन ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

चतरभुज पुत्र श्रीकिशन ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

दाखी पत्नी स्व0 श्री धन्ना लाल ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

कैलाश पुत्र स्व0 श्री धन्ना लाल ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

गुली पुत्री स्व0 श्री धन्ना लाल ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

कन्हैया लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

फूली पुत्री श्री चुन्नी लाल ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

श्याम लाल पुत्र श्री कल्याण ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
मदन लाल पुत्र श्री कल्याण ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
सत्यनारायण पुत्र श्री कल्याण ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
रामकंवर पुत्री श्री कल्याण ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
गंगा पुत्री श्री कल्याण ब्राहमण आयु वयस्क निवासी ब्रहमपुरी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

स्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी शोभागमल कुमावत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :—

—: **निर्णय** :—

दिनांक 11/03/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ब्रहम्पुरी पटवार हल्का दांथल भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला वाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है:— कमशः 1586/584 रकबा 18 बिस्वा प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 584 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा स्थित र राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 02 से लगायत 19 के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी आराजी नम्बर 1586/584 नाले से लगती हुई है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा है। सेटेलमेंट क्शे में आराजी नम्बर 1586/584 नाले के पास तरमीम है व उसके उपर उत्तर दिशा ओर आराजी नम्बर 584 है। लेकिन नवीन नक्शा ट्रेस में नाले के पास प्रार्थी के आराजी 1586/584 की जगह 584 व उसके उपर आराजी नम्बर 584 की जगह 584/1586 म कर रखी है। उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई है। अतः ग्राम ब्रहम्पुरी के नम्बर जो राजस्व नक्शे में आराज नम्बर 584/1586 की जगह आराजी नम्बर 584 व जी नम्बर 584 की जगह 1586/584 राजस्व नक्शे में तरमीम कराए जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम ब्रहम्पुरी के खाता संख्या 55 में आराजी नम्बर 1586/584 ा 18 बिस्वा सम्वत् 2071—2074 की जमाबन्दी प्रतिलिपि, खाता संख्या 100 सम्वत् 1—2074 के आराजी नम्बर 584 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा की प्रतिलिपि संलग्न की है। ब्रहम्पुरी के नक्शा ट्रेस जिसमें आराजी नम्बर 584 व 584/1586 की तरमीम अंकित है प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। सम्वत् 2025 का राजस्व नक्शा ग्राम जितिया की छाया प्रति समें आराजी नम्बर 584 व 1586/584 की तरमीम अंकित है की फोटोप्रति संलग्न की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। प्रार्थी अधिवक्ता के दिनांक 29.11.2021 को अनुपस्थित होने से प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9–नियम 09 व धारा 151 जाप्ता दिवानी का पेश हुआ जिस पर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिए जाने हेतु दिनांक 06.07.2022 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः दिनांक 25.07.2022 को दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। विपक्षीगण के समन जारी किए गयें। विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी की ओर से लिखित बहस 28.08.2023 को पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं व तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम ब्रहम्पुरी के आराजी नम्बर 584 व 1586/584 की जो नक्शा सम्वत् 2025 ग्राम जितिया के अनुसार तरमीम किया गया है। इस नक्शे के मुकाबले हाल राजस्व नक्शे मे आराजी नम्बर 584 के स्थान पर 584/1586 की तरमीम अंकित कर दी एवं 1586/584 के स्थान पर 584 की नक्शा तरमीम कर दी गई है। अतः सम्वत् 2025 में ग्राम जितिया के राजस्व नक्शे में जो तरमीम कर रखी है उसके अनुसार हाल राजस्व नक्शे में तरमीम कराई जाने की प्रार्थना की गई है। विपक्षी संख्या 01 की ओर से पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में आपत्ती प्रकट नहीं की है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। न्यायपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम ब्रहम्पुरी के आराजी नम्बर 584/1586 व आराजी नम्बर 584 के हाल राजस्व नक्शे का परीक्षण किया गया। इसके साथ ही ग्राम जितिया के राजस्व नक्शा सम्वत् 2025 में आराजी नम्बर 584 व 1586/584 की तरमीमशुदा नक्शे का परीक्षण किया गया। साबिक नक्शे के मुकाबले हाल नक्शे में तरमीम नहीं की जाना स्पष्ट होता है। साबिक नक्शे के मुकाबले हाल नक्शे में 584 की जगह 584/1586 आराजी नम्बर की तरमीम कर दी गई एवं 1586/584 की जगह आराजी नम्बर 584 की तरमीम कर दी गई है। इस प्रकार प्रार्थी की आराजी नम्बर 1586/584 रकबा 18 बिस्वा भूमि की हाल राजस्व नक्शे मे 584 की जगह तरमीम किया जाना एवं एवं आराजी नम्बर 584/1586 की जगह आराजी नम्बर 584 की तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम ब्रहम्पुरी पटवार हल्का दांथल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित कृषि भूमि के हाल राजस्व नक्शे में प्रार्थी के आराजी नम्बर 1586/584 रकबा 18 बिस्वा भूमि की तरमीम 584 के स्थान पर किए जाने के आदेश दिए जाते है एवं आराजी नम्बर 584/1586 के स्थान पर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 584 की तरमीम किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा राजस्व नक्शे में उपरोक्तानुसार तरमीम कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा